

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(2) (1) आ.प्र.एवं सहा./रा.का./2009/5063 जयपुर, दिनांक 3-3-10

जिला कलक्टर,
सिरोही (राज0)।


विषय:— माह मार्च, 010 के राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त श्रम
सीमा का आवंटन।

प्रसंग:— इस विभाग का श्रम सीमा आवंटन आदेश क्रमांक
4053 दिनांक 22.2.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश द्वारा आपके जिले को माह मार्च,10 के राहत कार्यों हेतु 2500 श्रमिकों की श्रमिक सीमा जारी की गयी थी। आप द्वारा इस श्रम सीमा के अतिरिक्त 2500 श्रमिकों की सीमा का प्रस्ताव वीडियो कान्फ्रेन्स में दर्शाया है। अतः आपके प्रस्तावानुसार माह मार्च,10 के राहत कार्यों के लिए श्रमिक सीमा 2500 के स्थान पर 5000 आवंटित की जाती है।

भवदीय,


शासन सचिव